اگست ۲۰۱۱ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب





نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیۂ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ-۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

August 2011





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

शुआ-ए-अमल

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

अगस्त–2011

"लखनऊ"

वर्ष 8 — अंक 2

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ – 3

Phone No: 0522-2252230 — 0522-4062731 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़ जाएसी'।

Per copy 20/- Annual 200/-



R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526



Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10



WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com



E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

विषय सूची

अगस्त 2011ई०

शाबानुल मुअज़्ज़म 1432हि० रमज़ानुल मुबारक 1432हि०

न० लेख व लेखक	पृष्ठ
1— अफ़वाह फैलाना अल्लामा सै० मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला, कराची	3
2— इस्लाम और इंसानी हुक़ूक़ क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी	7
3— मुख्य समाचार इदारा	15

अफ़वाह फैलाना

अल्लामा सै० मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला, कराची
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

इस्लाम इंसान को सच्चाई की तालीम देता है। इस सच्चाई की तीन सूरतें हैं। अमल की सच्चाई, दिल की सच्चाई और ज़बान की सच्चाई इस्लामी ज़िन्दगी इसी सच्चाई का दूसरा नाम है जिस में अमल, दिल और ज़बान की सच्चाई पाई जाती हो।

दिल और अमल की सच्चाई अगरचे अपनी जगह बड़ी अहमियत वाली है और बिना इसके इस्लामी समाज और इस्लामी ज़िन्दगी को सोचा ही नहीं जा सकता लेकिन ज़बान की सच्चाई इस वजह से और भी ज़्यादा अहमियत रखती है कि इस से पूरे समाज का ताल्लुक़ होता है और इसका असर सिर्फ़ एक ही ज़ात तक नहीं होता बल्कि दूसरे लोगों पर भी इसका असर होता है। अफ़वाह फैलाना इस्लामी ज़िन्दगी की बुनियादी तालीम यानी ज़बान की सच्चाई के ख़िलाफ़ है क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि ग़लत ख़बरें बनाई जाएं और उनको अपने मक़सद हासिल करने के लिए फैलाया जाए। ज़ाहिर है कि ये चीज़ इस्लाम के बुनियादी ख़यालों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम ये चाहता है कि इन्सान की कथनी-करनी में सच्चाई हो और दिलों को बुरे ख़यालों की गंदगी से पाक रखा जाए। अफ़वाह फैलाने की बुनियाद ही ये है कि उसकी कथनी-करनी, इरादे और अमल में सच्चाई न हो। क्योंकि अफ़वाह फैलाने वाला जानबूझ कर लोगों को धोका देता है, किसी बात को सही और दुरुस्त जानते हुए उसके ख़िलाफ़ दूसरी बातें मशहूर करने की कोशिश करता है जो सिर्फ़ ख़ास मक़सद को हासिल करने में उसकी मदद कर सकें इसलिए ये अफ़वाह फैलाना कथनी-करनी ओर अक़ीदे की सबसे बुरी मुनाफ़िक़त का नाम है जिसमें सिर्फ़ एक ही बुराई और एक ही गुनाह नहीं होता बल्कि अफ़वाह फैलाने वाला एक ही वक़्त में कई संगीन जुर्मों और बुरे गुनाहों को करता है। एक तरफ़ वह झूठ बोलता है और ख़ुदा की लानत का हक़दार बनता है। ''बेशक जो लोग हमारी निशानियों और हमारी हिदायतों को छुपाते हैं इसके बाद कि हम ने उसे अपनी किताब में खोलकर बयान कर दिया है। उन पर ख़ुदा भी लानत भेजता है और सभी लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं'' (सूरए बक़रा, 159) फिर इस तरह इरशाद हुआ है- ''हम झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें'' (सूरए आले इमरान, रुकू-6)

दूसरी तरफ़ अफ़वाह फैलाने वाला चोरी का जुर्म करने वाला भी होता है। चोरी से मुराद सिर्फ़ माल ही की चोरी नहीं है बल्कि इसके मतलब का ताल्लुक़ इंसान के हर अमल से होता है अगर सच्ची बात को छुपाकर झूठी बात को मशहूर कर दिया जाए तो ये भी चोरी की सबसे बुरी शक्ल होगी। हर इंसान का फ़ितरी हक़ है कि उसको सच्ची बात बताई जाए और जो शख़्स सच्ची बात से उसे महरूम रखेगा वह उसके हक़ में चोरी करेगा। क़ुरआन करीम में है- ''बेशक ख़ुदा तुमको इसका हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उन लोगों के पास पहुँचा दो जो उनके हक़दार हैं'' (सूरए निसॉ, 58/8) कन्ज़ुल उम्माल और दूसरी हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है- ''जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं'' इसलिए यक़ीनन ग़लत को सही बनाकर मशहूर करना, अमानतदारी के ख़िलाफ़ और सख़्त चोरी है जिसके बर्बादी भरे नतीजे

और असर सिर्फ़ एक ही शख़्स पर नहीं पड़ते बल्कि दूसरे बेगुनाह लोग भी इस जुर्म की बर्बादी से नहीं बच सकते और कितने ही इंसानों की ज़िन्दगी इसकी वजह से बर्बाद हो जाती है बल्कि कुछ घर या ख़ानदान ही नहीं मिटते बल्कि शहर, मुल्क और क़ौमें भी ख़त्म हो जाती हैं और इससे बढ़ कर भी मुमकिन है यानी ये कि इसके तबाही भरे असर सारी दुनिया को अपनी आग में लपेटकर तबाह व बर्बाद कर डालें और पूरे इंसानी समाज की बुनियादें ख़त्म कर दें। क्या हम नहीं देखते कि एक बहुत ही मामूली सी चिंगारी बस्तियों की बस्तियाँ जलाकर राख कर देती है हालांकि शुरु में एक चिंगारी और शोले की हैसियत देखने में कुछ भी नहीं होती। इसी तरह अफ़वाह फैलाना भी बुराई और तबाही की चिंगारी है जो शुरु में बहुत मामूली नज़र आती है और आख़िर में इसकी तबाहियों की कोई इन्तेहा नहीं रहती। ये लोगों की ज़िन्दगियाँ लूट लेता है, ख़ानदानों को बर्बाद करता है और मुल्कों और क़ौमों की बुलन्दियों को गहरे गढ़ों में हमेशा के लिए दफ़न कर देता है। इसी बड़े ख़तरे को सामने रख कर क़ुरआन करीम ने इंसानों को सच बोलने और सही बात करने की तालीम दी है और फ़िरक़ाबन्दी और अफ़वाह फ़ैलाने की लानत से बचाने की कोशिश की है। क़ुरआन का इरशाद है ''ऐ ईमान वालो! ख़ुदा से डरो और ठीक बात कहा करो'' ''अफ़वाह फैलाना'' दूसरों पर खुला हुआ ज़ुल्म है क्योंकि इस से उनके उस फ़ितरी हक़ की बर्बादी होती है कि उन्हें सही और सच्ची बात बताई जाए। ख़ुदा की किताब का आम एलान है कि ''ख़ुदा ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता'' (शूरा, आयत-40) इसी जगह पर फिर आयत 42 में ये फ़रमाया गया है- ''इल्ज़ाम तो बस उन्हीं पर होगा जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक़ ज़्यादती करते फिरते हैं इन ही लोगों के लिए दर्द देने वाला अज़ाब है'' इस अफ़वाह फैलाने से इंसान के समाजी निज़ाम में ख़तरनाक तौर पर नस्लकशी पैदा होती है। इस से लोगों के हुक़ूक़, इज़्ज़त और आबरू को नुक़सान पहुँचता है और क़तई तौर पर ये ''झूठी गवाही'' के दायरे में आता है जिसके लिए क़ुरआन का साफ़ एलान मौजूद है- ''झूठी बात करने से बचते रहो'' (हज, 30), अफ़वाह फ़ैलाना एक ऐसा गुनाह है और एक ऐसा बुरा अमल है जिसके हर रुख़ में और हर पहलू में बेइन्तहा ख़तरे छुपे हुए हैं और अगर इसकी रोकथाम में ज़रा भी ढिलाई से काम लिया जाए तो इसके ख़तरनाक नतीजे से आख़िर में इंसानी ज़िन्दगी के किसी भी हिस्से को बचाना मुमकिन नहीं रहता। बेशक ये बड़ी बुराई और सबसे बड़ी बुराई है और बुराई का फ़ैलाने वाला, उसको न रोकने वाला, उसको तरक़्क़ी देने वाला ये सब के सब इस आयत के ज़ेल में आते हैं- ''जो लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारों में बुराई का फैलाव हो बेशक उनके लिए दुनिया और आख़िरत में बड़ा ही दर्द भरा अज़ाब है''। मुख़्तसर ये कि अफ़वाह फैलाना सिर्फ़ एक गुनाह और अकेली बुराई नहीं है बल्कि बुराईयों का एक बड़ा केन्द्र और संग्रह है। ये झूठ का फैलाना है, ये बड़ी ख़तरनाक मुनाफ़क़त है, दूसरे इंसानों पर खुला हुआ ज़ुल्म है, उनके साथ फ़रेब और धोका है, अपने ज़मीर और दूसरे बेगुनाह इंसानों के एहसास और समझ से ग़द्दारी है, सच्चाई के ख़िलाफ़ बग़ावत का एलान है और अल्लाह के इरादे और उसके हुक्म से नाफ़रमानी है इस बड़े अकेले गुनाह की सज़ा और इसका बुरा नतीजा सिर्फ़ एक शख़्स या कुछ लोगों तक ही नहीं रहता बल्कि अफ़वाह फैलाने वाला एक हो या एक से ज़्यादा हों उन पर लातादाद इंसानों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो इस अफ़वाह फैलाने के शिकार होंगे।

बेकार बातों से बचना

इस्लाम ने जहाँ इंसान को तहज़ीब व तमद्दुन के वह सभी मेयारी उसूल बताए हैं जिन पर उसकी इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई ज़िन्दगी टिकी हुई है साथ ही उसे अख़लाक़ के भी ऐसे सबक़ दिये हैं जो उसकी ज़िन्दगी के हर हिस्से को घेरे हुए हैं। इज्तेमाई ज़िन्दगी में जिस चीज़ से इंसान को हर वक़्त वास्ता पड़ता है वह उसकी बातचीत है। इसके बिना वह अपने मतलब को ज़ाहिर नहीं कर सकता और अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर सकता। कभी बातीचीत की जगह कुछ और तरीक़े भी हो सकते हैं लेकिन सीधे तौर पर जो चीज़ ख़यालात और जज़्बात के इज़हार का ज़रिया है वह

इंसान की ज़बान ही है। इस ज़बान से कभी बड़े ख़ौफ़नाक तूफ़ान भी उठते हैं और कभी वह तूफ़ान भूले हुए ख़्वाब भी हो जाते हैं। इसी ज़बान से आग के शोले भड़कते हैं तो कभी ख़ून की बारिश होती है और कभी लाशों के अम्बार लग जाते हैं और कभी वह शोले ठण्डक और सलामती बन कर अम्न व सलामती का पैग़ाम भी बन जाते हैं और यही तो वह वसीला है जिस से इंसान के वह छुपे जौहर खुलकर सामने आ जाते हैं जो किसी और ज़रिए से ज़ाहिर नहीं हो सकते।

अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली[अ०] फ़रमाते हैं:- ''इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है'' यानी हर आदमी की असली क़ाबलियत और सलाहियत और अच्छाई और बुराई सब कुछ उसकी ज़बान ही से ज़ाहिर हो जाता है। जब तक ख़ामोश है पता नहीं चलता कि उसका चाल-चलन, उसकी इल्मी और अख़लाक़ी हैसियत क्या है। मगर जब वह बात करता है तो इसका फ़ौरन पता चल जाता है और ताड़ने वाले फ़ौरन ताड़ जाते हैं कि ये शख़्स कितने पानी में है और किस तरह की आदतें और किस हद तक सलाहियत रखता है। क़ुरआन पाक और रसूल की हदीसों में इसी लिए बार-बार अच्छी बात करने पर ज़ोर दिया गया है और बेकार और फ़ुज़ूल बातचीत से परहेज़ करने का हुक्म दिया गया है। सूरए असरा में अल्लाह ने फ़रमाया, ''ऐ रसूल[स०] मेरे बन्दों से कहो कि वह हमेशा ऐसी बात किया करें जो बहुत ही भली हो। इसी तरह अल्लाह ने ऐसी बातचीत से रोका है जिसमें बुरी बातों और बेकार बातों का ज़रा सा भी हिस्सा मौजूद हो। सूरए बक़रा में इन लफ़्ज़ों के साथ अच्छी बात की तालीम दी गई है- ''लोगों से ऐसे अंदाज़ में और ऐसे तरीक़े से बातचीत किया करो जो भला और अच्छा हो।'' एक दिन रसूल[स०] अपने सहाबा के मजमे में जन्नत की बात कर रहे थे, किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल[स०]! जन्नत किसको मिलेगी तो आपने फ़रमाया कि उसे मिलेगी जिसकी बातचीत का तरीक़ा भला हो, जो भूकों को खिलाए। एक दूसरी हदीस में हुज़ूर[स०] ने फ़रमाया है कि अच्छी और भली बात कहना ''सदक़ा'' है यानी ऐसा काम है जो ख़ुदा के दरबार में क़रीब होने का ज़रिया बनता है। बहरहाल इंसानी ज़िन्दगी के सभी अकेले और इज्तेमाई पहलुओं में बातचीत का तरीक़ा और बात करने के अंदाज़ का बड़ा दख़ल होता है। एक सहाबी ने रसूल[स०] ने पूछा, हुज़ूर मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आपने फ़रमाया कि वह तुम्हारी ज़बान है। जहाँ तक क़ुरआन हकीम का ताल्लुक़ है इस सिलसिले में कुछ आयतें और भी हैं जिन से इसकी सख़्ती से हिदायत मिलती है कि आदमी को अपनी बातचीत उन तमाम बातों से पाक रखना चाहिए जो अख़लाक़ी और दीनी हैसियत से ठीक और जाएज़ न हों। सूरए अह्ज़ाब में अल्लाह का फ़रमान है- ''ऐ ईमान वालो! जब कोई बात कहो तो ठीक तरह से कहा करो'' इसी तरह सूरए हज में है- ''झूठी बात कहने से हमेशा बचते रहो''। ज़ाहिर है कि जिस तरह ''ठीक बात'' में हर तरह की सही और दरमियानी बातचीत शामिल है ''झूठी बात'' में भी हर तरह की झूठी और ग़लत बात शामिल होगी। फिर जब इंसान बेकार बातें करेगा तो उसकी बातचीत किसी तरह भी उन अख़लाक़ी बुराईयों से बची नहीं रह सकती जो उसे ''झूठी बात'' में शामिल होने से बचा सकें।

खुलासा ये हुआ कि बेकार बातचीत हर तरह से इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

अच्छी बात करना

सरवरे काएनात[स०] का इरशाद है- ''सच्चा मुसलमान वही शख़्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें। अल्लामा निसाई ने इसको इस तरह रिवायत किया है, ''हुज़ूर[स०] ने फ़रमाया कि हक़ीक़ी मुसलमान वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग बचे रहें।

हुज़ूर[स०] एक दिन बातचीत कर रहे थे, सहाबियों में से किसी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल[स०]! जन्नत किसको मिलेगी? तो आप[स०] ने फ़रमाया कि जिस मुसलमान की बातचीत का तरीक़ा भला हो, जो भूकों को खाना खिलाए, अक्सर रोज़े रखता हो और रात में ऐसे वक़्त नमाज़ें पढ़े जब दुनिया सोती हो। एक और हदीस में सरकारे दो आलम[स०] ने फ़रमाया है कि अच्छी और

नेक बात कहना सदक़ा है। यानी जिस तरह सदक़ा देने से किसी ज़रूरत वाले और मोहताज की मदद होती है उसी तरह मीठी ज़बान से उसकी तसल्ली भी होती है और उसके ज़ख़्मों का इलाज भी हो सकता है। एक बार एक सहाबी ने हुज़ूर अनवर[स॰] से पूछा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है तो आप ने फ़रमाया कि वह तुम्हारी ज़बान है। इन सभी हदीसों से हासिल ये है कि इंसानी ज़िन्दगी की इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई तमाम पहलुओं में बातचीत का तरीक़ा और बातचीत के अंदाज़ का बड़ा हिस्सा है और बहुत ज़्यादा अहमियत है और यही वह मेयार और आईना है जिसमें इंसान की शख़सियत, क़ाबलियत, सीरत और किरदार, तहज़ीब व तरबियत, अख़लाक़ व आदात, कैफ़ियत और जज़्बात, नक़्स व कमाल, अच्छाई और बुराई की पूरी-पूरी तस्वीर सामने आती है और उसकी शख़सियत के छिपे हुए नुक़ूश उभरकर सामने आ जाते हैं।

अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली[अ॰] ने फ़रमाया है, ''इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है'' जिसका मतलब यही हुआ कि हर शख़्स की असली शख़सियत का सही अन्दाज़ा उसकी बातचीत से ही हो जाता है और उसकी वह कमज़ोरियाँ और ख़ूबियाँ जो छुपी हुई होती हैं उसकी ज़बान उन्हें सामने ले आती है। इस बयान का लाज़मी नतीजा यही निकलता है कि बुरी बात और ग़ैरमुनासिब और बद्तमीज़ी से बातचीत करने वाले इंसान को इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी तालीम व तरबियत से दूर का भी इलाक़ा और वास्ता नहीं होता। इमाम अबूजाफ़र मुहम्मद बाक़िर[अ॰] फ़रमाते हैं कि अल्लाह उस शख़्स का दुश्मन है जो बद-ज़बान हो, ज़बान ज़्यादा चलाने वाला हो। गाली-गलौज और गंदी बात करने वाला हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़[अ॰] ने फ़रमाया है, लोगों से तुम भी उसी बेहतरीन अंदाज़ पर कलाम किया करो जिस तरह तुम खुद चाहते हो कि लोग तुम से अच्छे तरीक़े पर बातचीत करें और अपनी ज़बानों को बुरी बात और बुरे बातचीत के अंदाज़ से बचाए रखो। ग़रज़ इस्लाम ने मुसलमानों को इसकी तालीम दी है कि वह जिस से भी बातचीत करें ऐसे अंदाज़ से करें जो बहुत ही भला और पसन्दीदा हो। अल्लाह ने सूरए बक़रा में फ़रमाया हैः ''लोगों से अच्छे तरीक़े पर बातचीत किया करो'' इस ख़ुदाई फ़रमान में बातचीत के सभी पहलू मौजूद हैं यानी ये कि जिस शख़्स से बाती की जाए उसकी इज़्ज़त व शख़सियत और मक़ाम व दर्जे का ख़याल रखा जाए, जो बात कही जाए वह सच्चाई, हक़ीक़त और ख़ुलूस की बुनियाद पर हो, उसमें बनावट न हो, ख़ुशामद न हो, फ़रेब न हो, और झूठ न हो और ऐसे तरीक़े पर न हो कि सुनने वालों को बुरा लगे और उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचे बल्कि इस अंदाज़ से हो कि बिगड़े हुए ताल्लुक़ात अच्छे हो सकें, उलझे हुए काम सुलझ सकें और घटी हुई मुहब्बत व उलफ़त बढ़ सके। ऐसा न हो कि मुहब्बतव भाईचारगी के रहे सहे रिश्ते भी टूट जाएं और दोस्ती व सच्चाई में बढ़ोत्तरी होने के बजाए आपस में दुश्मनी पैदा हो जाए या उसमें बढ़ोत्तरी हो जाए। बेशक बात में बड़ा असर होता है। ये ख़ुश भी कर सकती है और ग़मगीन भी बना सकती है, हंसा भी सकती है रुला भी सकती है, ये दीवानों को होश में भी ला सकती है, ये बर्बाद भी कर सकती है और दम तोड़ने वालों को ज़िन्दगी भी दे सकती है। इसीलिए क़ुरआन व हदीस में इस पर ज़ोर दिया गया है कि मुसलमान सख़्त बात और दिल तोड़ने वाले अंदाज़ से बातचीत करने से बचें और इस तरह बात न करें कि सुनने वालों को इस से रंज पहुँचे और बजाए मुहब्बत पैदा होने के आपस में दुश्मनी, इख़्तेलाफ़ात, ग़लतफ़हमी और मुनाफ़ेक़त पैदा हो। अल्लाह ने हज़रत मूसा[अ॰] और हज़रत हारून[अ॰] को हुक्म दिया था कि फ़िरऔन जैसे काफ़िर व मुश्रिक से भी बात करें तो बहुत ही नर्मी के साथ करें। सूरए ताहा में अल्लाह ने फ़रमाया है, यानी ''ऐ मूसा व हारून जब तुम फ़िरऔन के पास तबलीग़ के लिए जाओ तो उस से बहुत ही नर्मी के साथ बात करना ताकि वह तुम्हारी नसीहत मान ले या डर ही जाए। इस ख़ुदाई हुक्म से ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि नबी से लेकर एक आम मुसलमान तक सब ही के लिए इस्लाम ने नर्म बातचीत और अच्छी बोलचाल के अंदाज़ को ज़रूरी क़रार दिया है।

इस्लाम और इंसानी हुकूक़

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

(14)

पिछले मज़मून में ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि इस्लाम में ज़ुल्म के सिलसिले में मुस्लिम या ग़ैर मुस्लिम की कोई शर्त नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटे से परिन्दे पर भी ज़ुल्म की इजाज़त नहीं और रसूले इस्लाम[स०] फ़रमाते हैं कि अगर ऐसा कोई अमल अंजाम दिया तो हश्र के मैदान में तुम मुझे अपना दुश्मन पाओगे। क़ुरआन मजीद में साफ़ एलान हैः अनुवादः- ''किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफ़ी और ज़ुल्म पर न उभारे।'' (सूर-ए-माएदा) ख़ुद हुज़ूरे सरवरे काएनात मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] की पूरी ज़िन्दगी इस आयत की बेहतरीन अमली तफ़सीर है। तारीख़ में लिखा है कि मदीने में एक मुसलमान के घर में चोरी हो गई। दो आदमी शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार हुए, जिनमें से एक यहूदी था और दूसरा मुसलमान। दोनों को हुज़ूर[स०] के पास लाया गया। मुसलमानों के दिल में ये ख़याल पैदा हुए कि अगर मुसलमान पर चोरी साबित हो गई तो मदीने के मुसलमानों की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी और यहूदियों के सामने उनके सर शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए कुछ मुसलमान रसूलुल्लाह[स०] की ख़िदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया कि हम मुसलमानों की इज़्ज़त ख़तरे में है। अगर मुसलमान चोरी के इल्ज़ाम से बच जाए तो हमारी इज़्ज़त बच जाएगी। ये सुनते ही रसूल[स०] के माथे पर बल पड़ गए। रहमतुल लिल आलमीन ने फ़रमायाः ''तुम्हारी इज़्ज़त तो बच जाएगी, मगर इस्लाम की इज़्ज़त पर दाग़ लग जाएगा। आने वाले मुसलमानों ने कहाः इन यहूदियों ने मुसलमानों पर बहुत ज़ुल्म किये हैं। अगर ये ज़ुल्म है भी तो भी जो मज़ालिम उन्होंने हम पर किये हैं उनके मुक़ाबले में कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह[स०] ने फ़ैसला करने वाले अंदाज़ में फ़रमाया कि इस्लाम ज़ुल्म के मुक़ाबले में ज़ुल्म हरगिज़ नहीं करने देता। हुज़ूरे सरवरे काएनात ने मामले की ख़ुद तहक़ीक़ की और नतीजे में यहूदी बेक़सूर निकला और चोरी का इल्ज़ाम मुसलमान पर साबित हो गया। मुसलमान को सज़ा हो गई और यहूदी बच गया। अगरचे उस वक़्त मुसलमान ये सोच रहे थे कि मुसलमानों की बेइज़्ज़ती हो गई, मगर रसूले इस्लाम[स०] की निगाहें देख रही थीं कि दीने इस्लाम के इस इंसाफ़ भरे फैसले से इस्लाम हमेशा के लिए इज़्ज़तदार हो गया। वक़्ती तौर पर मुसलमानों की बेइज़्ज़ती हुई, मगर इस्लाम का बराबरी और इंसाफ़ भरा निज़ाम क़यामत तक के लिए सबसे ऊँचा हो गया।

इसी से मिलता जुलता एक और वाक़िआ मिलता है। सिफ़्फ़ीन की जंग से वापसी पर हज़रत अली[अ०] की ज़िरह कहीं खो गई। ख़बर मिली कि एक यहूदी के पास है, मौला उस वक़्त हाकिम थे अगर चाहते तो सिपाही भेज कर ज़बरदस्ती उस यहूदी से ज़िरह हासिल कर लेते, मगर हज़रत अली[अ०] ने एक आम आदमी की तरह उस यहूदी के ख़िलाफ़ अदालत में मुक़द्दमा दायर किया। क़ाज़ी शुरैह की अदालत में मुक़द्दमा पहुँचा। एक तरफ़

एक ग़ैर मुस्लिम यहूदी है, दूसरी तरफ़ मुसलमानों के ख़लीफ़ा अमीरुलमोमिनीन अली[अ०]। क़ाज़ी शुरैह की हालत ख़राब हो गई कि अमीरुलमोमिनीन से कैसे सवालात करे, मगर हज़रत अली[अ०] ने हिम्मत बंधाई कि जो इस्लामी क़ानून चाहता है आप उस पर अमल कीजिये। अब क़ाज़ी ने पूछा कि आपका क्या दावा है? हज़रत अली[अ०] ने फ़रमाया कि इस यहूदी के पास मेरी ज़िरह है जो मैंने न इसके हाथ बेची है और न हिबा की है, हज़रत अली[अ०] की इस बात में देखने वाली बात ये है कि आपने ये नहीं फ़रमाया कि यहूदी ने मेरी ज़िरह चुराई है, बल्कि फ़रमाया कि न बेची है और न हिबा की, यानी दुश्मन की इज़्ज़त को भी महफ़ूज़ रखा। क़ाज़ी शुरैह ने यहूदी से पूछाः तुम क्या कहते हो? यहूदी ने कहाः ये ज़िरह मेरी है। अब क़ाज़ी ने हज़रत अली[अ०] से पूछा कि आपके पास कोई गवाह है? फ़रमाया नहीं।'' क़ाज़ी शुरैह ने फ़ैसला सुनाया ऐ अली[अ०] क्योंकि आपके पास कोई गवाह नहीं है और ज़िरह यहूदी के क़ब्ज़े में है, इसलिए ये ज़िरह यहूदी ही के पास रहेगी। देखने में मौला अली[अ०] मुक़द्दमा हार गए, मगर इस्लाम मुक़द्दमा जीत गया। यहूदी ने अली[अ०] के क़दमों पर सर रख दियाः ''ऐ अली[अ०] ये ज़िरह आप ही की है। मैंने चुराई नहीं है, बल्कि मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी जो मैंने उठा ली, लेकिन इस्लाम की ये बराबरी और इंसाफ़ देखकर मैं मुसलमान हो रहा हूँ। हज़रत अली[अ०] ने वह ज़िरह उसी को दे दी और एक ख़ूबसूरत ऊँट भी तोहफे में अता फ़रमाया।

संयुक्त राष्ट्र के क़ानून हुक़ूक़े इंसानी में आर्टिकल (7) के ज़ेल में बड़े जोश के साथ लिखा है All are equel before the law क़ानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये लिखकर समझा है कि जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन ऊपर दिये हुए दोनों वाक़िआत से साबित होता है कि इस्लाम के बराबरी और इंसाफ़ के निज़ाम में न सिर्फ़ ये कि मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम बराबर हैं, बल्कि हाकिम और अवाम भी एक ही जगह पर नज़र आ रहे हैं। आज बहानों-बहानों से क़ानून बनाए जा रहे हैं, ताकि बड़े-बड़े हुकूमती दर्जे और ख़ुद क़ाज़ी साहेबान अदालत में पेश होने और सवाल और जवाब से अलग हो जाए, मगर इस्लामी क़ानून ने सदियों पहले सबको बिल्कुल एक सतह पर रख कर हमेशा के लिए इस्लामी क़ानूनों की बड़ाई साबित कर दी है।

इस से पहले क़ैदियों के सिलसिले में कुछ बात हुई थी, लेकिन बात अधूरी रह गई थी। इंसानी हुक़ूक़ के ज़ैल में जंगी क़ैदियों के बारे में बहुत ताकीद है। जिनेवा कन्वेन्शन में क़ैदियों के साथ किसी भी तरह के बुरे सुलूक को सख़्ती से रोक गया है। इस्लाम ने आज से 14 सौ साल पहले जंगी क़ैदियों के बारे में तफ़सील से अहकाम बयान फ़रमाए हैं। क़ुरआन मजीद एलान फ़रमा रहा हैः ''जब काफ़िरों से मुक़ाबला हो (यानी जब वह हमला करें) तो उनकी गर्दन उड़ा दो, ताकि उनको पूरी हार हो जाए। क़ैदियों को मज़बूती से बाँध लो। बाद में चाहे उन्हें आज़ाद कर दो चाहे फ़िदया ले लो'' (सूर-ए-मुहम्मद, आयतः 4) इस आयत से अंदाज़ा होता है कि जंग के दौरान दुश्मन के आदमियों को गिरफ़्तार करने से रोका गया है, बल्कि जंग के बाद बचेखुचे सिपाहियों को गिरफ़्तार किया जाएगा। आयत में न तो क़ैदियों को क़त्ल करने को कहा गया है और न उन्हें गुलाम बनाने का हुक्म है। जंग में दुश्मन के किसी भी सिपाही को क़ैदी बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि अगर कोई जंग में क़ैदी बना लिया जाता था तो रसूलुल्लाह[स०] उसे आज़ाद फ़रमा देते थे।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 3 जून 2011[ई०])

(15)

हज़रत अली[अ०] और इंसानी हुक़ूक़

अगरचे अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली[अ०] की हुकूमत बहुत थोड़ी यानी तक़रीबन साढ़े चार साल की है। लेकिन ये छोटे से ज़माने की हुकूमत भी हमारे मौज़ू

से बहुत ही मिलती है और इस लेहाज़ से बहुत अहम है कि आपका पहली हुकूमत के ज़माने के मुक़ाबले कई तरह की क़ौमों, मिल्लतों और मज़हबों और तरह-तरह के रंगों, नसलों और इलाक़ों से वास्ता रहा। इसी तरह से आपके दौर में सियासी और मज़हबी गिरोहों की भरमार हो गई थी, लेकिन हज़रत अली^{अ०} ने इस बहुत ही परेशानी भरे और अन्दुरूनी व बाहरी मुश्किलों से भरे हुए अपनी हुकूमत के ज़माने में भी जब कि मौला ख़ुद अन्दुरूनी और बाहरी दुश्मनों से घिरे हुए थे, इस्लामी क़ानूनों के ज़रिए बनाए गए इंसानी हुक़ूक़ के ऐसे बेहतरीन नमूने पेश किये कि इंसानी हुक़ूक़ की दावेदार आज की दुनिया भी हैरत में है। अगर किसी तहक़ीक़ करने वाले को ये परखना हो कि इस्लाम ने इंसानी हुक़ूक़ का क्या नज़रिया पेश किया है और उसको अमली तौर पर किस तरह करके दिखाया है तो इसके लिए अली[अ०] की हुकूमत के ज़माने को देखना लाज़मी है, क्योंकि अली उस शख़सियत का नाम है जो एक अज़ीमुश्शान इस्लाम को समझने वाली भी और इंसान को समझने वाली भी है, जो ख़ुद ही पूरा का पूरा इस्लाम और इंसान का सबसे बेहतरीन नमूना है।

पिछले मज़मूनों में गुज़र चुका है, संयुक्त राष्ट्र के क़ानून हुक़ूक़े इंसानी का ख़ास प्वाइंट इस्लाम की अपनी इज़्ज़त और क़ीमत है, इसी बुनियाद पर क़ानून में ग़ुलामी पर सख़्ती से रोक लगाई गई है। इस मौज़ू पर हज़रत अली[अ०] का इरशाद मौजूद हैः- "तमाम इंसान आज़ाद हैं और किसी को भी उन्हें ग़ुलाम बनाने का हक़ नहीं" और अपनी इस बात को अमल की सूरत में लाने के लिए हज़रत अली[अ०] ने अपनी मुहब्बत और अपने हाथों की कमाई से हज़ार के क़रीब ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिये, जिनमें ईसाई भी थे। (वसाएलुश्शीआ, जि-16 पे-30)। हजरत अली[अ०] की नज़र में सिर्फ़ उस शख़्स को हुकूमत का हक़ हासिल है जो इंसानों की इज़्ज़त व शराफ़त का ज़ाती लेहाज़ रख सकता हो, वरना वह हुकमरान नहीं वहशी दरिन्दा होगा। अपने मशहूर ख़त में मिस्र के लिए तैय किए हुए गर्वनर जनाब मालिक अशतर को लिखाः "ऐ मालिक अपनी अवाम के साथ इंसाफ़ और बराबरी करो और उन से मुहब्बत और शफ़क़त से पेश आओ और ख़बरदार उनके हक़ में फाड़ खाने वाले दरिन्दे की तरह न हो जाना। देखो ऐ मालिक ख़ुदा की मख़लूक़ की दो क़िस्में हैं, एक वह जो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, दूसरे वह जो ग़ैर मुस्लिम हैं, मगर तुम्हारी तरह इंसान हैं। जानबूझकर या धोके से उनसे ग़लतियाँ हो जाती हैं। तुम्हें लाज़िम है कि उन्हें माफ़ कर दो जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हारा ख़ुदा तुम्हें माफ़ करे।" मौला अली[अ०] ने सिर्फ़ नसीहत ही नहीं फ़रमाई है, बल्कि अमली तौर पर दूसरों की इज़्ज़त और शराफ़त की हिफ़ाज़त का सबक़ दिया है। आप सिफ़्फ़ीन की जंग से कूफ़ा की तरफ़ लौट रहे थे कि शामियान नामी एक क़बीले की तरफ़ से गुज़र हुआ। क़बीले का एक बुज़ुर्ग और इज़्ज़तदार शख़्स हज़रत के इस्तेक़बाल के लिए आया और अमीरुलमोमिनीन के एहतेराम में अपनी सवारी से उतर कर पैदल चलने लगा। हज़रत[अ०] ने उसे सख़्ती से रोका और ज़ोर दिया कि फ़ौरन अपनी सवारी पर सवार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस अमल से हाकिम को ग़ुरूर हो सकता है और ये अमल एक मोमिन की बेइज़्ज़ती की वजह बनने वाला है। (नहजुल बलाग़ह, हिकमतः 37) इन जुमलों से अंदाज़ा होता है कि इमाम[अ०] को पसन्द नहीं था कि इंसान की इज़्ज़त को चोट पहुँचे और उसकी ज़ाती शराफ़त में कोई कमी पैदा हो।

सारे हुक़ूक़ में सबसे बड़ा हक़, ज़िन्दगी का हक़ है। जिसकी रिआयत करना हुकूमतों पर वाजिब और लाज़िम है और लोगों पर भी। ख़ुद हज़रत अली[अ०] की पाक सीरत इसका बेहतरीन अमली नमूना रही है। आपका मशहूर इरशाद है कि "मुझे दो चीज़ें रसूलुल्लाह से विरासत में मिली हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी वह किताब जो तलवार की म्यान में है" लोगों ने पूछा वह किताब कौन सी है, जो तलवार की म्यान में है?

आपने फ़रमाया जो भी किसी बेगुनाह को क़त्ल करे या किसी ग़ैर मुस्तहक़ को सज़ा दे उस पर अल्लाह की लानत हो। आप[अ०] ने अपने गवर्नर मालिक अशतर को लिखाः ''देखों ख़बरदार नाहक़ ख़ून बहाने से परहेज़ करना, क्योंकि उससे ज़्यादा अल्लाह के अज़ाब से क़रीब और सज़ा के हिसाब से सख़्त कोई वजह नहीं'' आप ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले जिन मुक़द्दमों का फ़ैसला होगा, वह ख़ून बहाने के बारे में होंगे। आपने फ़रमायाः ''ख़बरदार नाहक़ ख़ून बहाकर अपनी हुकूमत को मज़बूत मत करना, क्योंकि ये अमल हुकूमत को बेजान और कमज़ोर बना देता है, और हुकूमत बर्बाद हो जाती है और दूसरों की तरफ़ चली जाती है।''

खुद हज़रत अली[अ०] की हर जंग बचाव करने वाली है। पहले अम्न की हर कोशिश कर लेते थे और उस वक़्त तक न खुद तलवार उठाते थे और न फ़ौज को इजाज़त थी, जब तक दुश्मन की तरफ़ से पहल न हो जाए। इसकी बेहतरीन मिसाल ख़न्दक़ की जंग में हज़रत अली[अ०] की अरब के सबसे बड़े पहलवान अम्र इब्ने अब्देवुद से जंग है। जब अम्र मुक़ाबले पर आया तो आप[अ०] ने फ़रमाया मैंने सुना है कि तुम सामने वाले की तीन बातों में से एक बात मान लेते हो। उसने जवाब दिया हाँ ये सही है। हज़रत ने फ़रमाया, इस्लाम क़ुबूल कर लो। उसने इनकार किया। फ़रमाया सुलह क़ुबूल करके पलट जाओ। उसने इस बात से भी इनकार किया। आप[अ०] ने फ़रमाया अच्छा तो सवारीसे उतर कर मेरे सामने आ जाओ। वह मौला[अ०] के मुक़ाबले पर आ गया फिर दुनिया ने दो हैरतनाक मंज़र देखे। अली[अ०] ने फ़रमाया पहले तुम वार करो। अम्र बहुत ही मंझा हुआ बेहद ताक़तवर और अरब का सबसे मशहूर पहलवान था। उसके मुक़ाबले में हज़रत अली[अ०] बिल्कुल नौजवान थे, लेकिन बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेते हुए उसे पहले हमले की दावत दी और अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए इस्लामी क़ानून की बड़ाई साबित की कि इस्लाम में तहाजम नहीं बल्कि बचाव है। कुफ़्र और इस्लाम दोनों हैरत से ये मंज़र देख रहे थे। अम्र ने पूरी ताक़त से भरपूर वार किया। हज़रत[अ०] ने अपनी ढाल उठाई। अम्र की तलवार ढाल को काटती हुई मुबारक सर तक पहुँची। मौला[अ०] ने जवाबी वार किया। अम्र ज़ख़्मी होकर गिरा। मौला उसके सीने पर सवार हुए, चाहते थे कि सर काटें, मगर दुनिया ने दूसरा हैरत भरा मंज़र देखा कि अचानक अम्र के सीने से उतर कर टहलने लगे। मुसलमान घबरा गए। रसूलुल्लाह की ख़िदमत में अर्ज़ करने लगे ये अली[अ०] ने क्या किया? बड़ी नादानी का सुबूत दिया इतनी बड़े पहलवान पर क़ाबू पाकर छोड़ दिया। हुज़ूर ने फ़रमाया जब अली वापस आएं तो उन्हीं से पूछ लेना। जब अम्र को क़त्ल करके वापस आए तो लोगों ने माजरा पूछा, फ़रमाया कि उसने गुस्ताख़ी की, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। अगर उस हालत में उसे क़त्ल करता तो ये क़त्ल अपने नफ़्स के लिए होता अल्लाह के लिए नहीं।

हज़रत अली[अ०] ने हमेशा सिर्फ़ उस हद तक जंग लड़ी, जिस हद तक ज़रूरी थी और जीत के बाद ख़ून के प्यासों को माफ़ कर दिया। हज़रत अली[अ०] की हुकूमत का ज़माना फ़िक्र की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और अमल करने की आज़ादी का नमूना है।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 17 जून 2011[ई०])

(16)

हज़रत अली[अ०] और इंसानी हुक़ूक़

पिछले मज़मून में ''हज़रत अली[अ०] और इंसानी हुक़ूक़'' के उनवान से कुछ लाइनें लिखने का मौक़ा मिला। ज़ाहिर है कि उस मज़मून में एक हलकी सी तसवीर भी सामने नहीं आ सकी। मौज़ू की अहमियत को देखते हुए ये कुछ लाइनें और पेश की जा रही हैं।

पिछले मज़मून में ज़िन्दगी के हक़ के बारे में बात हुई। मौला अली[अ०] की सीरत का एक खुला हुआ पहलू इसी हक़ का एहतेराम है। जब भी दुश्मन सामने आया

आपने सुलह की भरपूर कोशिश फ़रमाई, ताकि ख़ून-ख़राबे से बचा जा सके। तारीख़ लिखने वालों ने आपकी सीरत का ये बहुत ही अजीब रुख़ पेश किया कि आप अपनी जीत पर कभी खुश नहीं हुए। अली उस एक अकेले जीतने वाले का नाम है, जो जीत के बाद ग़मगीन नज़र आता था। हारने वाले को अपनी हार पर इतना अफ़सोस न होता होगा, जितना हज़रत अली को जंग में अपनी जीत पर। आप की आँखों से आँसू जारी हो जाते थे और अफ़सोस की हालत में फ़रमाते थे कि काश ये मेरी बात मान लेते और हिदायत का रास्ता कुबूल कर लेते और मेरे मुक़ाबले से हट गए होते तो मेरे हाथों मारे न जाते। क्योंकि रसूल[स०] पहले ही फ़रमा चुके हैं: ''मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं'' शायद यही वजह थी क्योंकि आपकी हैसियत बाप की जैसी थी और अगर बाप अपनी नालायक़ औलाद को सज़ा देता भी है तो मजबूरी में और सज़ा के बाद शायद औलाद को सज़ा पाने पर इतनी तकलीफ़ नहीं होती, जितनी बाप को सज़ा देने पर।

फ़ौजी अफ़सर अपने कड़वे मिज़ाज के लिए मशहूर हैं। अगर लहजा बुरा, मिज़ाज सख़्त, तबीअत गुस्से वाली और रहम का जज़्बा नहीं है या कम है तो ऐसा शख़्श फ़ौज या पुलिस के लिए बहुत ठीक माना जाता है, मगर हज़रत अली[अ०] ने उलटा ख़याल पेश किया है। अपने गर्वनरों को सख़्ती से कहा कि फ़ौज का अफ़सर ऐसे को बनाया जाए जो नर्म और लचीला हो, ख़ून-ख़राबे से नफ़रत करता हो, नर्मी दिखाने वाला और मेहरबान हो। मिस्र के गर्वनर मालिक अशतर को तहरीर फ़रमाया ''अपनी फ़ौजों पर ऐसे शख़्स को अफ़सर मुक़र्रर करना, जो तुम्हारे ख़याल में सबसे ज़्यादा साफ़ दिल हो, नर्मी करने वालों में सबसे अफ़ज़ल हो, देर में गुस्सा आता हो, उज़्र कुबूल कर लेता हो, कमज़ोरों पर मेहरबान हो, ताक़तवर लोगों पर सख़्त हो। सख़्त मिज़ाज वाला न हो और कमज़ोरी की वजह से आजिज़ न हो। (नहजुल बलाग़ा नामा नम्बर-75) फ़ौज में ये सिफ़ात इसलिए ज़रूरी थीं कि हज़रत अली का हमले में पहल करना सामने वाले की फ़ौज को बर्बाद कर देना मक़सद नहीं था बल्कि सुलह की आख़री कोशिश के बाद मजबूरन बचाव के लिए जेहाद करना मक़सद था।

हज़रत अली की नज़र में इंसानी जान की बड़ी क़ीमत थी। आपकी मुकम्मल कोशिश थी कि कोई भी ख़ून बर्बाद न हो। आज अगर कोई शख़्स भीड़ में कुचल कर मर जाए तो हुकूमत पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन मौला का फ़रमान था कि ऐसे हादसों में दियत की रक़म वारिसों को हुकूमत के ख़ज़ाने से अदा की जाएगी। इस तरह से अगर किसी मक़तूल के क़ातिल का पता न लग पाए तो दियत (तावान) की रक़म बैतुलमाल से अदा होगी। अगर क़ाज़ी अपने फ़ैसले में ग़लती कर जाए और किसी को ग़लत सज़ा मिले तो तावान की रक़म बैतुलमाल (हुकूमत का ख़ज़ाना) से अदा होगी। अगर डाक्टर की ग़लती से मरीज़ की मौत हो जाए या नुक़सान पहुँचे तो डाक्टर ज़िम्मेदार है।

इंसानी हुक़ूक़ में बराबरी को बुनियादी हैसियत हासिल है। मौला की हूकूमत का ज़माना इस्लामी इंसाफ़ और बराबरी का एक मुकम्मल नमूना है। इसी इंसाफ़ और बराबरी की वजह से बहुत सी अहम शख़्सियतों ने इमाम का साथ छोड़ दिया और मुख़ालिफ़ीन में शामिल हो गए। हज़रत अली[अ०] ने इस्लामी क़ानून जारी करने और बैतुलमाल की तक़सीम में कभी हलकी सी भी जानिबदारी से काम नहीं लिया। रिश्तेदार-ग़ैर रिश्तेदार, सहाबी-ग़ैर सहाबी, अमीर और ग़रीब, अरब और अजम, गुलाम और आज़ाद में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। आपके सगे भाई अक़ील ने शिकायत की कि वज़ीफ़ा पूरा नहीं पड़ता है और बच्चे भूके रह जाते हैं, इसलिए वज़ीफ़े की रक़म बढ़ा दी जाए तो बच्चों की तकलीफ़ पर एक चचा की हैसियत से अफ़सोस ज़ाहिर किया, मगर वज़ीफ़ा बढ़ाने से इनकार कर दिया और फ़रमाया जितना सबको मिलता है उतना ही तुम्हें भी मिलेगा और जब भाई ने ज़िद की तो आपने एक शख़्स से कहा कि अक़ील को रात के सन्नाटे में बाज़ार ले जाओ ताकि दुकान का ताला

तोड़कर वहाँ से माल निकाल लें। अक़ील ने घबराकर कहा कि क्या चोरी करके चोर कहलाऊँ तो आपने फ़रमाया तुम भी तो मुझे चोरी की तरफ़ बढ़ा रहे हो कि मुसलमानों के माल से चुराकर तुम्हें दूँ।

बसरा के ख़िराज में मोतियों का एक हार आया। आपकी एक बेटी ने उस हार की फ़रमाइश कर दी। आपने जवाब में फ़रमाया जब तक हर मुसलमान औरत के गले में ऐसा ही हार न देख लूँ उस वक़्त तक तुम्हें ऐसा हार लेने की इजाज़त नहीं है। आपकी सगी बहन उम्मे हानी अपनी एक अजमी कनीज़ के साथ अपना वज़ीफ़ा लेने आईं। आपने अपनी बहन और कनीज़ को बराबर वज़ीफ़ा दिया। बहन ने शिकायत की कि आपने एक अजमी कनीज़ और मुझे बराबर कर दिया। आपने दोनों मुठियों में ज़मीन से ख़ाक उठाई और बहन से सवाल किया बताओ दोनों मुठियों में कौन सी मुठ्ठी अफ़ज़ल है। बहन ने जवाब दिया ख़ाक होने की हैसियत से दोनों मुठियों की मिट्टी बराबर है। आपने फ़रमाया तुम दोनों की पैदाईश इसी मिट्टी से हुई है, इसलिए दोनों बराबर हो। अगर कुछ बरतरी है भी तो तक़वे की बुनियाद पर।

कुछ बुज़ुर्ग सहाबी हज़रत अली[अ॰] की ख़िदमत में आए और वज़ीफ़े में बढ़ोत्तरी की दरख़्वास्त की। आपने इंकार फ़रमाया तो उन्होंने दलील दी कि हम पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं, जंगों में भी हम ने ज़्यादा हिस्सा लिया और रसूल[स॰] से रिश्तेदारी भी है। आपने नज़रें उठायीं और आने वालों की आँखों में आँखें डालकर कहा कि क्या मुझ से भी पहले ईमान का एलान किया? क्या मुझ से ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया? क्या मुझ से ज़्यादा क़रीब रसूल[स॰] से रिश्तेदारी है? उन्होंने घबराकर कहा ऐ अली[अ॰] नहीं, फ़रमाया देख सामने जो ग़रीब मज़दूर काम कर रहा है, जितना वज़ीफ़ा उसे मिलता है उतना ही मैं लेता हूँ।

आपकी राजधानी कूफ़ा में एक शख़्स ने देखा हज़रत अली[अ॰] एक पुराना कम्बल ओढ़े सर्दी से काँप रहे हैं। उसने कहा ऐ अली[अ॰] आप भी बैतुलमाल में से कोई अच्छा सा कम्बल ले लीजिए। आपने फ़रमाया ख़ुदा की क़सम मैंने तुम्हारे माल में से कोई चीज़ लेना गवारा नहीं की और ये चादर जो मैं ओढ़े हुए हूँ, ये भी मैं मदीने से लाया हूँ।

मालिक अशतर जैसे वफ़ादार और जाँनिसार ने एक बार दबी ज़बान से कहा ऐ अमीरुलमोमिनीन लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। वह आपके इंसाफ़ की ताब नहीं ला पा रहे हैं। लोगों में से ज़्यादातर लोग दुनिया को चाहते हैं। ये बहुत आसानी से अपने दीन को दुनिया के बदले बेच देते हैं। आपके दुश्मन ढेरों दौलत ख़र्च करके लोगों को अपनी तरफ़ बुला रहे हैं। आप भी अपने दुश्मनों ही की तरह माल ख़र्च कीजिए और उनको अपनी तरफ कर लीजिए। आपने सख़्ती से तम्बीह की और फ़रमाया कि मैं हरगिज़ माल के ज़रिए किसी को अपनी तरफ़ नहीं करूँगा। फ़रमाया ''अगर ये माल मेरा भी होता तब भी इन दुनिया के चाहने वालों को न देता क्योंकि ये माल पब्लिक का है।''

ये बात सामने रहे कि बैतुलमाल का यही ग़लत इस्तेमाल है कि जिसकी बुनियाद पर ग़लत हाकिमों को सख़ावत की सनदें दी जा रही हैं। सख़ावत अपने माल में होती है, दूसरे के माल में नहीं।

आज छोटे से ओहदे के लिए लोग अपना ज़मीर, शराफ़त, ईमान सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मौला अली[अ॰] का मशहूर क़ौल है कि अगर सारी काएनात की हुकूमत मेरे सामने पेश की जाए इस शर्त के साथ कि एक चींटी के मुँह से जौ का छिलका छीन लूँ तो मैं सारी काएनात की हूकूमत पर ठोकर मार दूँगा, मगर ये ज़ुल्म करना गवारा नहीं करूँगा।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 1 जुलाई 2011[ई॰])

(17)

''हज़रत अली[अ॰] और इंसानी हुक़ूक़'' के उनवान से इंसाफ़ का तज़किरा हुआ, आज ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है कि जजो को पूछताछ के दायरे में लाया जाए या

उनको इज़्ज़त के साथ इस दायरेसे बाहर रखा जाए, ज़ाहिर है कि अदालत का एक जज भी हमारी तरह का इंसान है, वह भी चाहतों का शिकार हो सकता है और जब ये ख़याल हो कि हमारे बारे में पूछताछ नहीं हो सकती तो क़दमों में लड़खड़ाहट मुमकिन हो जाती है। मजबूर होकर खुद चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि अदालतों की बदउनवानियों की कोई इन्तेहा नहीं है। मशहूर है कि कुछ जजों के क़रीबी रिश्तेदार वकील बन कर कुछ सालों में करोड़पति बन जाते हैं। अब किसी ग़रीब आदमी के लिए अदालतों में मुक़दमा लड़ना तक़रीबन नामुमकिन हो गया है। इस्लाम ने इन सभी बातों को पहले ही से बयान कर दिया है। क़ुरआन मजीद ने इन बुनियादों पर चोट की है कि जिनकी वजह से इंसान बेइंसाफ़ी करता है वह ज़ुल्म और ज़्यादती और बेइंसाफ़ी कर बैठता है। क़ुरआन मजीद के हिसाब से बेइंसाफ़ी की एक वजह अपने से और अपनों से शदीद मुहब्बत है। क़ुरआन मजीद ने एलान फ़रमायाः ''ऐ ईमान वालो! बराबरी और इंसाफ़ करो अल्लाह के लिए. ... जो चाहे अपनी ज़ात या अपने माँ-बाप और रिश्तेदार ही के ख़िलाफ़ क्यों न हो।'' (सूरए निसा, आयत-135) अपनी ज़ात से मुहब्बत और रिश्तेदारों की मुहब्बत ही की वजह से इंसान दूसरों के साथ बेइंसाफ़ी कर बैठता है, जिसकी काट ऊपर दी हुई आयतों के ज़रिए की गई।

दूसरी वजह इंसान का गुस्से और दुश्मनी का जज़्बा है, जिसकी वजह से वह इंसाफ़ के रास्ते से भटक जाता है। गुस्से और ग़ज़ब की हालत में ख़ास तौर से अगर इंसान किसी से नाराज़ है या किसी के लिए अपने दिल में दुश्मनी और अदावत का जज़्बा रखता है तो वह इंसाफ़ के रास्ते से हट जाता है और बेइंसाफ़ी कर बैठता है, इसलिए वह अल्लाह जो इंसान का पैदा करने वाला है और मुहावरे के तौर पर नहीं बल्कि हक़ीक़त में उसकी नस-नस को जानता है। वह पहले ही अपनी किताब क़ुरआन मजीद में इस बुरे जज़्बे के ख़िलाफ़ होशियार कर चुका है ''ख़बरदार किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि इंसाफ़ छोड़ दो। इंसाफ़ करो कि यही तक़्वे से क़रीब है'' (सूरए माएदा, आयत-8) हज़रत नूह^अ० के बारे में एक दिलचस्प रिवायत आई है, जिससे इस मौज़ू पर रौशनी पड़ती है। रिवायत का सिर्फ़ खुलासा पेश है। हज़रत नूह^अ० ने शैतान से पूछा किः काफ़िरों, मुनाफ़िक़ों, गुनाहगारों और बदकारों को बहकाता है, ये बात समझ में आती है मगर तू मोमिनों को कैसे गुमराह करता है? अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के रसूल^स० से मुहब्बत करने वाले, सजदा करने वाले, परहेज़गार तेरे जाल में कैसे आ जाते हैं? शैतान ने जवाब दिया यही तो मेरा राज़ है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है मोमिन को बहकाना, लेकिन आप ने पूछा है तो बताता हूँ कि अगर मोमिन तीन ग़लतियाँ न करे तो मैं उस पर ज़ोर नहीं पा सकता। पहली ग़लती उसका गुस्से में आ जाना है। जब एक बन्दा किसी की दुश्मनी या किसी और वजह से गुस्से में आ जाता है तो वह अपनी लगाम मेरे हाथ में दे देता है और मैं जिधर चाहता हूँ उसे हंका ले जाता हूँ। दूसरा मौक़ा वह होता है जब उसे दो आदमियों के बीच फैसला करना हो, जिनमें से एक उसका अपना हो और दूसरा ग़ैर हो, इधर फैसले में अपने की मुहब्बत और ग़ैर की दुश्मनी असर डालती है, उधर ईमान चला और मोमिन बन्दा मेरे क़ब्ज़े में आ जाता है। तीसरी वजह जो शैतान ने बयान की है वह क्योंकि इस मौज़ू से अलग है, इसलिए छोड़ी जा रही है। आप ने देखा कि इस रिवायत में उन्हीं दो कमज़ोरियों का ज़िक्र है कि जिनके ख़िलाफ़ क़ुरआन मजीद ने ताकीद फ़रमाई है, यानी बेजा मुहब्बत और बेजा गुस्सा और दुश्मनी कि जिनकी वजह से इंसाफ़ करना मुश्किल हो जाता है।

तीसरी वजह जिसकी वजह से इंसान इंसाफ़ के रास्ते से भटक जाता है, वह उसकी लालच और उसके ज़रिए रिश्वत को क़ुबूल करना है। इस बुनियाद पर भी क़ुरआन मजीद ने सख़्त हमला किया हैः ''और ख़बरदार

एक दूसरे का माल नाजाएज़ तरीक़े से न खाना और न हुक्काम के हवाले कर देना कि रिश्वत देकर हराम तरीक़े से लोगों के माल को खा जाओ, जबकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा माल नहीं है"। (सूरए बक़रा, आयत-188) हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़[अ०] ने फ़रमाया है कि फ़ैसले के लिए रिश्वत लेना अल्लाह से कुफ्र करने की तरह है। आज की अदालतों के लिए आम तौर से शिकायत की जाती है कि वकालत कम और दलाली ज़्यादा है। इस बारे में रसूल[स०] की मशहूर हदीस है: "अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर, रिश्वत देने वाले पर और उस पर जो बीच में वास्ता बने" एक जज और क़ाज़ी लिए तोहफ़े का बहाना भी नहीं चलेगा। पिछले किसी मज़मून में वाक़िआ गुज़र चुका कि रसूल[स०] के ज़माने में किसी रक़म वसूल करने वाले ने कोई तोहफ़ा क़ुबूल कर लिया। रसूल[स०] को ख़बर हुई तो उसको पैग़ाम दिया कि जिस चीज़ का तुझे हक़ नहीं है वह तू क्यों ले रहा है। उसने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल[स०] ये तो तोहफ़ा है। रसूल[स०] ने जवाब में फ़रमाया कि अगर तुम घर बैठे होते और मेरी तरफ़ से हाकिम न होते तो क्या तुम्हें ये तोहफ़ा मिलता। तारीख़ में है कि रसूल[स०] ने उस वसूली करने वाले से न सिर्फ़ ये कि तोहफ़ा वापस करवा दिया, बल्कि उसको ओहदे से हटा भी दिया। इस्लाम में एक क़ाज़ी (जज) के लिए ज़ोर दिया गया है कि वह खुद ख़रीदारी के लिए बाज़ार न जाए, क्योंकि अगर किसी दुकानदार ने उसकी शख़सियत की वजह से क़ीमत में कमी कर दी तो हो सकता है उस दुकानदार का कोई मुक़द्दमा क़ाज़ी की अदालत में आए तो चाहे ना चाहते हुए ही सही, लेकिन उस दुकानदार की हमदर्दी उसके दिल में पैदा न हो जाए। इस ताकीद से अंदाज़ा कीजिए कि क़ाज़ियों और जजों के मामले में इस्लाम कितना चौकन्ना है। हज़रत अली[अ०] हमेशा कोशिश करते थे कि ऐसी जगह से ख़रीदारी फ़रमाएं, जहाँ उन्हें कोई शक्ल से न पहचानता हो और यही अपने गुलामों से कहते थे। आम तौर से बड़े लोगों की कोशिश होती है कि जिस जगह से सामान ख़रीद रहे हैं, वह उनको पहचान ले ताकि चीज़ भी अच्छी दे और दाम भी कम ले। ये चीज़ इस्लामी बराबरी और इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये ज़ोर दिया गया है।

एक शख़्स हज़रत अली[अ०] का मेहमान हुआ। मौला अली[अ०] ने उसकी ख़ातिर की। कुछ देर बाद उसने बताया कि फ़लाँ शख़्स से मेरा झगड़ा है और आप उसका फैसला फ़रमा दें, आपने फ़रमाया तू अभी तक तो मेरा मेहमान था, मगर क्योंकि अब मुझे तेरे मुक़द्दमे का फ़ैसला करना है, इसलिए अब तू मेरा मेहमान नहीं रह सकता। मेरे यहाँ रहना छोड़ दे, क्योंकि रसूल[स०] का फ़रमान है कि या मुक़द्दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के मेहमान होंगे या कोई भी नहीं। क़ाज़ी के लिए जाएज़ नहीं कि किसी एक फ़रीक़ का मेज़बान बने, ये इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है। किसी अदालत में मुक़द्दमा चल रहा था। एक फ़रीक़ खुद हज़रत अली[अ०] थे। क़ाज़ी ने जब हज़रत से बात की तो कुन्नियत (पुकारा जाने वाला नाम) से, कि ऐ अबुलहसन! और जब मुख़ालिफ़ फ़रीक़ को आवाज़ दी तो नाम लेकर पुकारा। हज़रत के चेहरे का रंग बदल गया। क़ाज़ी ने पूछा क्या बात है? आपके चेहरे का रंग क्यों बदल गया। फ़रमाया तूने इंसाफ़ नहीं किया। मुझे कुन्नियत से पुकारा और मेरी इज़्ज़त का ख़याल रखा और मेरे मुख़ालिफ़ को नाम से पुकारा, इसलिए तुम से इंसाफ़ की उम्मीद नहीं है (अरब में जब किसी की इज़्ज़त बढ़ानी होती थी तो नाम नहीं लेते थे, बल्कि कुन्नियत से पुकारते थे), अगर क़ाज़ियों, जजों और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को कंट्रोल में रखने के लिए इस्लाम ने जो क़ानून बनाए हैं, उनकी पाबन्दी की जाए तो फिर दफ़्तरों और अदालतों से करप्शन ख़त्म करने के लिए किसी लोकपाल बिल की ज़रूरत न होगी।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 15 जुलाई 2011[ई०])

(जारी)

मुख्य समाचार

मसलए फ़िलिस्तीन की हर सतह पर हिमायत की जाए

मिस्र की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म मज़हबी सियासी जमाअत इख़वानुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से फ़िलिस्तीनी शहर ग़ज़्ज़ा से मिले रफ़हा क्रासिंग प्वाइन्ट मुस्तक़िल तौर पर खोलने और मसलए फ़िलिस्तीन की हर सतह पर हिमायत करने का मुतालबा किया है। मरकज़े इत्तेलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक़ बुद्ध के रोज़ क़ाहिरा में इख़वानुल मुस्लिमीन के दफ़्तर से जारी हफ़्तावार मुरासले में मोहकमए ख़ारजा से मुतालबा किया है कि वह रफह गुज़रगाह और मसलए फ़िलिस्तीन के बारे में मुरव्विजा सख़्तगीर पॉलीसी तर्क करके, क्रासिंग प्वाइन्ट को दो तरफ़ा आमदोरफ़्त के लिए मुस्तक़िल तौर पर खोलते हुए मुसाफ़िरों को दरपेश तमाम मुश्किलात दूर करने का मुतालबा किया गया। बयान में मिस्री हुकूमत से कहा गया कि वह फ़िलिस्तीनी मसले की आलमी सतह पर हिमायत के लिए ठोस पॉलीसी बनाए। अरब मुमालिक को मसलए फ़िलिस्तीन के हल के लिए एक प्लेटफ़ार्म पर मुत्तहिद करे ताकि मज़लूम फ़िलिस्तीनियों को उनके असासी हुक़ूक़ दिलाए जा सकें। बयान में मसलए फ़िलिस्तीन के बारे में अक़वामे मुत्तहेदा के किरदार पर कड़ी तनक़ीद करते हुए उसे मनफ़ी क़रार दिया। बयान में कहा गया कि अक़वामे मुत्तहेदा इस्राईल नवाज़ ताक़तों के ज़ेरे असर होने की वजह से आज तक फ़िलिस्तीनियों से इंसाफ़ नहीं कर सका बल्कि वह दोहरे मेयार का शिकार है। इख़वानुल मुस्लिमीन ने मिस्री हुकूमत और अरब मुमालिक से मुतालबा किया कि वह आइन्दा सितम्बर में अक़वामे मुत्तहेदा में फ़िलिस्तीनी रियासत तसलीम कराने के लिए की जाने वाली कोशिशों में जान पैदा करें और आज ही से अपनी सिफ़ारतकारी शुरु कर दें ताकि आलमी इदारे से रुजु के वक़्त फ़िलिस्तीनियों की आलमी हिमायत हासिल की जा चुकी हो। इख़वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि मिस्र फ़िलिस्तीनियों का क़रीब तरीन पड़ोसी और बिरादर मुल्क है। मसलए फ़िलिस्तीन के हल की पहली ज़िम्मेदारी मिस्र पर आएद होती है। क्योंकि मसलए फ़िलिस्तीन का हल ख़ुद मिस्र के स्ट्रेटेजिक मफ़ादात का हिस्सा है। बयान में अक़वामे मुत्तहेदा की क़रारदादों पर अमल दर आमद न करने पर इस्राईल को भी तनक़ीद का निशाना बनाया गया कि अक़वामे मुत्तहेदा की लापरवाही और आलमी बिरादरी के मुजरिमाना ग़फ़लत के नतीजे में इस्राईल को फ़िलिस्तीनी इलाक़ों पर ग़ैर क़ानूनी तसर्रुफ़ात की खुली छूट हासिल है। आलमी बिरादरी अगर मसलए फ़िलिस्तीन का हल चाहती है तो उसे ला मुहाला अक़वामे मुत्तहेदा की उन क़रारदादों पर इस्राईल को सख़्ती से पाबन्द बनाना होगा जो फ़िलिस्तीन के बारे में आलमी इदारे ने मंज़ूर कर रखी हैं। उनमें अहम तरीन वह क़रारदादें हैं जिनका ताल्लुक़ यहूदी आबादकारी बढ़ाने पर पाबन्दी, फ़िलिस्तीनी आबादियों में सहयूनी गोलाबारी रोकने और फिलिस्तीनियों के जाएज़ हुक़ूक़ तसलीम करने के बारे में बार बार मंज़ूर की जाती रही हैं।

फ़िलिस्तीन में इस्राईल के अज़ाएम नाक़ाबिले बर्दाश्त: ओ०आई०सी०

इस्लामी कान्फ्रेंस तनज़ीम के सेक्रेट्री जनरल प्रोफ़ेसर अकमलुद्दीन ओगलो ने मक़बूज़ा बैतुलमुक़द्दस में यहूदी आबादकारी में मुसलसल तौसी पर सहयूनी हुकूमत को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में यहूदियों की ग़ैर क़ानूनी सरगर्मियाँ अब नाक़ाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और इस्राईल यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रख कर जिनेवा कन्वेन्शन और आलमी मुआहेदों की खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी का मुरतकिब हो रहा है। जद्दा में क़ायम इस्लामी कान्फ्रेंस तनज़ीम ''ओ०आई०सी०'' के दफ़्तर से जारी सेक्रेट्री जनरल के एक बयान में कहा गया है कि इस्राईली हुकूमत ने बैतुल मुक़द्दस और मग़रिबी किनारे में मज़ीद 336 मकानों की तामीर के मंज़ूरी देकर जिनेवा कन्वेन्शन और आलमी क़वानीन की सख़्त ख़िलाफ़वर्ज़ी की है।

ओ०आई०सी० ने अमरीका, यूरोपी यूनियन, रूस और अक़वामे मुत्तहेदा पर मुशतमिल ग्रुप चार से मुतालबा किया कि वह इस्राईल को फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में ग़ैर क़ानूनी यहूदी आबादकारी और फ़िलिस्तीनियों की आराज़ी ग़सब करने से बाज़ रखे। बयान में कहा गया कि मग़रिबी किनारा और बैतुलमुक़द्दस के तमाम इलाक़े मुतानाज़ेआ हैं जब तक उनका तनाज़ा हल नहीं हो जाता आलमी बिरादरी को इस्राईल को यकतरफ़ा तसर्रुफ़ से बाज़ रखना चाहिए। इस्लामी कान्फ्रेंस तनज़ीम ने फ्रांसीसी इमदादी जहाज़ 'अलकरामा' पर इस्राईली फ़ौज के हमले और महसूरीने ग़ज़्ज़ा के लिए लाए गए इमदादी सामान पर क़ब्ज़े की भी शदीद मज़म्मत की। बयान में कहा गया कि इस्राईल ने इमदादी जहाज़ पर फ़ौजकशी करके बहरी क़ज़ाक़ी का मुज़ाहेरा किया है जिस पर तलअबीब का मोआख़ज़ा किया जाना चाहिए।

प्रोफ़ेसर अकमलुद्दीन एहसान ओगलो का कहना था कि इस्राईल ने बहरी बेड़े का रास्ता रोककर आलमी क़वानीन और इंसानी हुक़ूक़ के मुआहेदों का मज़ाक़ उड़ाया है जिस पर इस्राईल से आलमी क़वानीन के तहत पूछताछ होनी चाहिए ताकि वह आइन्दा इस तरह के ग़ैर क़ानूनी हथकण्डों से बाज़ रहे।

बहरैन में सियासी महाज़-आराई दोबारा शिद्दत इख़्तियार कर गई

बहरैन में सियासी महाज़-आराई उस वक़्त दोबारा शिद्दत इख़्तियार कर गई जब सियासी इस्लाहात के जारी क़ौमी मुकालमे से मुल्क के सबसे बड़े शिया अपोज़ीशन ग्रुप विफ़ाक़ ने अलग होने का एलान कर दिया। विफ़ाक़ के सरबराह ख़लील अल-मज़रूक ने इल्ज़ाम लगाया कि क़ौमी मुकालमाती मजलिस में मामलात के तईं संजीदगी इख़्तियार नहीं की जा रही है। इसलिए उन्होंने अलाहेदगी इख़्तियार करने का फ़ैसला किया। बहरैन के फ़रमाँरवा हम्माद बिन ईसा अल-ख़लीफ़ा ने मुसालेहाना मुकालमे का ये सिलसिला इस इरादे से शुरु किया था कि हंगामों पर क़ाबू पाया जाए और शाही हुकूमत के हामी और मुख़ालिफ़ीन बैठकर कोई रास्ता निकाल लें। वाज़ेह रहे कि रवाँ साल के शुरु में बहरैन में अपोज़ीशन और सलामती फ़ोर्सेज़ के माबैन झड़पों में कोई 25 लोग मारे गए थे। बहरैन में हुक्मराँ शाही ख़ानदान जहाँ सुन्नियों का है वहीं अकसरियत शियों पर मुश्तमिल है।

इस्लामी मक़ामात को इबरानी नाम देना फ़िलिस्तीनी शनाख़्त मस्ख़ करने का हिस्सा: डॉ० अत-तैय्यबी

इस्राईली पारलिमान (कनेस्ट) में फ़िलिस्तीन के तारीख़ी मक़ामात के अरबी नामों को इबरानी नामों में तबदील करने के लिए कमेटी की तश्कील पर कड़ी तनक़ीद करते हुए अरब रुक्न अहमद अत-तैय्यबी ने इसे फ़िलिस्तीनी पहचान को मस्ख़ करने जैसा कहा है और कहा है कि यह सहयूनी मंसूबे की एक कड़ी है। ज़राए इबलाग़ में शाया अपने बयान में डॉक्टर तैय्यबी ने कहा की तारीख़ी मक़ामात के नामों की तबदीली के लिए पारलिमानी कमेटी का क़याम दरअसल फ़िलिस्तीनी शनाख़्त को मस्ख़ करके इन इलाक़ों को यहूदी रंग में रंगने के मंसूबे का एक हिस्सा है। ये अमल तरीख़ को तबदील करने और रिवायात से मुँह मोड़ने की जसारत है। उन्होंने कहा कि इस्राईली हुक्काम ने अल-क़ुद्स, अल-जलील और नक़ब के ज़िलों को यहूदी रंग में रंगने के लिए इन्तेहाई तेज़ी से काम शुरु कर दिया है। उनके बक़ौल अल-क़ुद्स को यरोशलम, नासिरा को नज़ारत, याफ़ा को याफ़ू और बहरमियत का नाम मैलह में तबदील करने से इन मक़ामात के मुताल्लिक़ इस्लामी रिवायात को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि इस्राईली हुकूमत ने वज़ीरे मवासलात यसराईल काटज़ की दरख़्वास्त पर सन् 1948ई० से इस्राईली ज़ेरेनगीं मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन के मुख़तलिफ़ इलाक़ों के नामों को इबरानी ज़बान में तबदील करने के लिए एक वज़ारती कमेटी तशकील देने का फ़ैसला किया है।

नाबलस में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्रे मुबारक पर सहयूनियों का हमला

इस्राईली फ़ौज की हिफ़ाज़त में एक हज़ार से ज़ायद इन्तेहापसन्द यहूदियों ने 5 जुलाई 2011 की रात ज़िला नाबलस के मशरिक़ी गाँव बलाता में वाक़े जलीलुल क़द्र पैग़म्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्रे मुबारक पर धावा बोल दिया और सुबह तक मज़ारे मुबारक पर तलमूदी इबादात अदा करते रहे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुतास्सिब यहूदियों की कम अज़ कम 20 बसों की हिफ़ाज़त के लिए दर्जनों गाड़ियों में फ़ौजी अहलकारों ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्रे मुबारक पर हमला किया था। इस हमले के मौक़े पर सहयूनी फ़ौज ने इलाक़े को मुकम्मल तौर पर बन्द कर दिया। मग़रिबी किनारे के शिमाली इलाक़े में यहूदी आबादकारी के ज़िम्मेदार ग़साल डगलस के मुताबिक़ बाज़ यहूदियों ने इस मौक़े पर फ़रार होने की नाकाम कोशिश की ताहम इस्राईली फ़ौज ने उन्हें कहीं न जाने दिया। ज़राए ने ज़ोर देकर बताया कि सहयूनी फ़ौज ने इलाक़े को बन्द करके किसी को भी मज़ार अन्दर या बाहर न जाने दिया। इस मौक़े पर गुज़रने वाले मुसाफ़िरों को रास्ता तबदील करने पर मजबूर किया जाता रहा। शहर की मग़रिबी चेकपोस्ट भी बन्द कर दी गई जिस से शहरियों को सख़्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ा।